(भारत के राजपत्र, भाग-II, खण्ड-3, उप-खण्ड-(i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक : 25वीं सितंबर, 2018

अधिसूचना

सा.का.नि. .... संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप, दमण एवं दीव और दादरा एवं नगर हवेली पुलिस सेवा नियम, 2003 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पहले की गई या किए जाने से लोप की गई बातों के सिवाय, राष्ट्रपति एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ -**

(1) इन नियमों का नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप, दमण एवं दीव, दादरा एवं नगर हवेली तथा चण्डीगढ़ (पुलिस सेवा) नियम, 2018 होगा।

(2) नियम 3 के उप-नियम (2) में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये नियम शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे।

2. **परिभाषा - इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -**

(क) "प्रशासन" से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के संबंध में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और (i) अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह (ii) लक्षद्वीप (iii) दमण एवं दीव (iv) दादरा एवं नगर हवेली तथा (v) चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन अभिप्रेत है।

(ख) "प्रशासक" से (i) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, (ii) अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह (iii) लक्षद्वीप (iv) दमण एवं दीव (v) दादरा एवं नगर हवेली तथा (vi) चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्रों, जैसा भी मामला हो, के लिए संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त प्रशासक अभिप्रेत है;

(ग) "नियुक्ति प्राधिकारी", से किसी भी ग्रेड के संबंध में, उस ग्रेड में नियुक्तियां करने के लिए केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के अधीन अधिकृत प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(घ) "निर्धारित दिवस" से शासकीय राजपत्र में इन नियमों के प्रकाशन की तारीख अभिप्रेत है;

(ङ) "अनुमोदित सेवा", किसी भी ग्रेड के संबंध में से उस अवधि या अवधियों सहित, जिनके दौरान सेवा का कोई सदस्य उस ग्रेड में नियमित आधार पर पद धारित कर सकता था किंतु अवकाश पर होने या अन्य कारण से ऐसे पदों को धारित करने के लिए उपलब्ध नहीं हो सका, उस वर्ष के जुलाई माह के प्रथम दिवस से उस ग्रेड में प्रदान की गई नियमित सेवा की अवधि या अवधियां अभिप्रेत है :-

(क) उस वर्ष के बाद जिसमें उस ग्रेड में सीधे नियुक्त किसी अधिकारी के संबंध में परीक्षा आयोजित की गई थी;

(ख) जिसके लिए पदोन्नति द्वारा उस ग्रेड में नियुक्त किसी अधिकारी के संबंध में नियमित आधार पर भर्ती की गई थी;

(च) "संवर्ग" से नियम 3 में यथा विनिर्दिष्ट ग्रेडों में पदों का समूह अभिप्रेत है;

(छ) "संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी" से गृह मंत्रालय, भारत सरकार अभिप्रेत है;

(ज) "आयोग" से संघ लोक सेवा आयोग अभिप्रेत है;

(झ) "विभागीय पदोन्नति समिति" से अनुसूची IV में यथा विनिर्दिष्ट किसी ग्रेड में पदोन्नति एवं पुष्टि पर विचार के लिए गठित समिति अभिप्रेत है;

(ञ) "ड्यूटी पद" से अनुसूची-I में शामिल कोई पद अभिप्रेत है;

(ट) "सरकार" से भारत सरकार अभिप्रेत है;

(ठ) "ग्रेड" से नियम 3 में विनिर्दिष्ट कोई ग्रेड अभिप्रेत है;

(ड) "अनुसूची" से इन नियमों में संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;

(ढ) "अनुसूचित जातियों" और "अनुसूचित जनजातियों" के वही अर्थ होंगे जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 के क्रमश: खण्ड (24) और खण्ड (25) द्वारा उनके लिए दिए गए हैं;

(ण) "सेवा" से नियम 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप, दमण एवं दीव, दादरा एवं नगर हवेली तथा चण्डीगढ़ पुलिस सेवा अभिप्रेत है;

नियम 3 : सेवा का गठन और इसका वर्गीकरण -

(1) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप, दमण एवं दीव, दादरा एवं नगर हवेली तथा चण्डीगढ़ पुलिस सेवा नामक एक सेवा गठित की जाएगी जिसमें नियम 6 और 7 के अधीन उस सेवा में नियुक्त व्यक्ति शामिल होंगे।

(2) इस सेवा में 01 जनवरी, 1996 से अनुसूची 1 में यथा विनिर्दिष्ट चार ग्रेड माने जाएंगे।

(3) कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड-।, कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड-।। और चयन ग्रेड के पद केन्द्रीय सिविल सेवा समूह "क' पद होंगे तथा प्रविष्टि ग्रेड के पद केन्द्रीय सिविल सेवा समूह "ख' पद होंगे।

नियम 4 : ग्रेड, नफरी और उनकी समीक्षा :-

विभिन्न ग्रेडों में शामिल ड्यूटी पद, उनकी संख्या और इन नियमों के लागू होने की तारीख को वेतनमान वही होंगे जो अनुसूची-। में यथा विनिर्दिष्ट हैं :

परंतु यह कि सेवा में पदों की स्वीकृत संख्या का 10% और 20% क्रमश: कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड-। और चयन ग्रेड के गैर-प्रकार्यात्मक ग्रेड होंगे और इन्हें अनुसूची-। के भाग ख और ग में विनिर्दिष्ट पदों की संबंधित संख्या के भीतर रखा जाएगा;

परंतु यह और कि कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड-। में **पदों की संख्या लेवल 12 (78,800 रु.-2,09,200 रु.)** के वेतनमान में कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में स्वीकृत पदों की कुल संख्या से अधिक नहीं होगी।

2) उप-नियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सरकार -

(क) विभिन्न ग्रेडों में ड्यूटी पदों में, समय-समय पर, अस्थायी रूप से वर्धन या परिवर्तन कर सकती है;

(ख) आयोग के परामर्श से सेवा में ऐसे पदों को शामिल कर सकती है जो प्रास्थिति, ग्रेड, वेतनमान और व्यावसायिक विषय में सेवा में शामिल पदों के समकक्ष माने जाते हो या सेवा में पहले से शामिल ड्यूटी पद को सेवा से हटा सकती है; तथा

(ग) आयोग के परामर्श से ऐसे पद के नियमित पदधारी को नियुक्त कर सकती है जिसे सेवा के उपयुक्त ग्रेड में ड्यूटी पद के रूप में सेवा में शामिल किया गया है तथा उक्त पद

या सदृश ग्रेड में उनके द्वारा प्रदान की गई नियमित सेवा को ध्यान में रखते हुए उनकी वरिष्ठता निर्धारित कर सकती है।

(3) उप-नियम (2) के खण्ड (ख) और (ग) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि ऐसे पद, जिसे सेवा के संवर्ग में शामिल किया गया है, का कोई नियमित पदधारी उप-नियम (2) के खंड (ग) के अंतर्गत सेवा में नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं पाया जाता है तो वह पद पर बने रहेंगे और इस प्रयोजन के लिए इस पद को ऐसे समय तक, जब तक यह ऐसे पदधारी द्वारा धारित है, उस सेवा में शामिल नहीं माना जाएगा। सेवा में शामिल किए जाने के लिए ऐसे व्यक्तियों की उपयुक्तता की प्रत्येक वर्ष समीक्षा की जाएगी।

नियम 5 - सेवा का सदस्य :-

(1) निम्नलिखित व्यक्ति सेवा के सदस्य होंगे :-

(क) नियम 6 के अंतर्गत ड्यूटी पदों पर नियुक्त व्यक्ति; और

(ख) नियम 7 के अंतर्गत ड्यूटी पदों पर नियुक्त व्यक्ति।

(2) उप नियम-1 के खण्ड (क) के अंतर्गत नियुक्त व्यक्ति को ऐसी नियुक्ति के बाद, अनुसूची-I में उन पर लागू उपयुक्त ग्रेड में सेवा का सदस्य माना जाएगा।

(3) उप नियम-1 के खण्ड (ख) के अंतर्गत नियुक्त व्यक्ति को ऐसी नियुक्ति की तारीख से, अनुसूची-I में उन पर लागू उपयुक्त ग्रेड में सेवा का सदस्य माना जाएगा।

नियम 6 - सेवा का आरंभिक गठन :-

1) दिल्ली, अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप, दमण एवं दीव, दादरा एवं नगर हवेली तथा चंडीगढ़ पुलिस सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड, चयन ग्रेड और प्रविष्टि ग्रेड में नियमित आधार पर ड्यूटी पदों को धारित करने वाले सभी विद्यमान अधिकारी संबंधित ग्रेडों में सेवा के सदस्य होंगे।

2) नियमित आधार पर पद धारण करने वाले लक्षद्वीप, दमण एवं दीव और दादरा एवं नगर हवेली तथा चंडीगढ़ प्रशासन के सभी विद्यमान अधिकारी; जिन्हें सेवा के संवर्ग में शामिल किया गया है, इन नियमों के प्रारंभ होने से पूर्व यथा विद्यमान अपने संबंधित पदों और ग्रेडों में तब तक बने रहेंगे, जब तक कि वे आयोग द्वारा उनकी उपयुक्तता का मूल्यांकन करने के बाद सेवा का सदस्य नहीं बन जाते हैं। यदि वे मूल्यांकन में उपयुक्त पाए जाते हैं तो उन्हें ऐसे ग्रेडों में उनकी नियमित नियुक्ति की तारीख (तारीखों) से उपयुक्त ग्रेड में नियुक्त हुआ माना जाएगा। यदि कोई अधिकारी सेवा में नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं पाया जाता है तो उसके द्वारा नियमित रूप से धारित संवर्ग के पद को तब तक संवर्ग-बाह्य माना जाएगा जब तक उन्हें सेवा में

शामिल नहीं कर लिया जाता है या वह इस पद को खाली नहीं कर देते हैं तथा उनके मामले की प्रत्येक वर्ष समीक्षा की जाएगी।

3) इन नियमों के लागू होने से पहले उप-नियम (1) और (2) में निर्दिष्ट अधिकारियों की नियमित निरंतर सेवा की गणना सेवा में पदोन्नति, पुष्टि और पेंशन के लिए परिवीक्षा और अर्हता सेवा के प्रयोजन के लिए की जाएगी।

4) उस सीमा तक, जहां तक संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी इस नियम के उपबंधों के अनुसार, विभिन्न ग्रेडों की प्राधिकृत नियमित संख्या को भरने में सक्षम नहीं होते हैं, इसे नियम 7 और 8 के उपबंधों के अनुसार भरा जाएगा।

नियम 7 - सेवा का भावी अनुरक्षण :-

(1) नियम 6 के अंतर्गत आरंभिक गठन के बाद, अनुसूची-। में विनिर्दिष्ट किसी ग्रेड में रिक्तियों को, यहां इसके बाद इस नियम में उपबंधित रीति से भरा जाएगा।

(2) (क) प्रविष्टि ग्रेड में पचास प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा और शेष पचास प्रतिशत पद पदोन्नति द्वारा भरे जाएंगे।

(ख) सीधी भर्ती कोटा की रिक्तियों को आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के आधार पर भरा जाएगा।

(ग) पदोन्नति कोटा की रिक्तियों को विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों के आधार पर अनुसूची-।। में उल्लिखित पदों को धारित करने वाले उस ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवा वाले अधिकारियों में से चयन द्वारा भरा जाएगा।

(3) कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड-।, कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड-।। तथा चयन ग्रेड में सभी रिक्तियों को अनुसूची-।।। में यथा विनिर्दिष्ट ठीक नीचे के संबंधित ग्रेड में न्यूनतम अर्हक सेवा वाले अधिकारियों में से पदोन्नति द्वारा भरा जाएगा।

(4) (क) कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड-।। में पदोन्नति, सरकार के अधीन इस स्तर के पदों के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर विहित बेंच मार्क ग्रेड के अध्यधीन "चयन" द्वारा की जाएगी।

(ख) प्रविष्टि ग्रेड में पदोन्नति द्वारा भर्ती, सरकार के अधीन इस स्तर के पदों के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर विहित बेंच मार्क ग्रेड के अध्यधीन "चयन" द्वारा की जाएगी।

(ग) कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड-1 और चयन ग्रेड में पदोन्नति, अयोग्यता के कारण अस्वीकार किए जाने के अध्यधीन वरिष्ठता के क्रम में की जाएगी।

(5) उप-नियम (4) के अंतर्गत प्रत्येक मामले में चयन विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों के आधार पर किया जाएगा।

(6) यदि सेवा में किसी ग्रेड में नियुक्त किसी अधिकारी के संबंध में उच्चतर पद पर पदोन्नति के प्रयोजन के लिए विचार किया जाता है, तो उनके वरिष्ठ व्यक्ति पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी सेवा ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा की आधी अवधि या दो वर्ष, जो भी कम हो, से अधिक की अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा से कम नहीं हो, तथा उन्होंने अपने कनिष्ठ अधिकारियों, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली हो, के साथ-साथ अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पणी - पदोन्नति के लिए पात्रता सूची संबंधित ग्रेड या पद में अर्हक सेवा के पूरा होने की तारीख के संदर्भ में तैयार की जाएगी। यदि विभिन्न स्रोतों से आने वाले एक या एक से अधिक अधिकारियों की निर्णायक तारीख एक हो तो आयु में वरिष्ठ अधिकारी को पात्रता सूची में ऊपर रखा जाएगा।

नियम 8 : प्रतिनियुक्ति द्वारा ड्यूटी पदों को भरा जाना -

(1) नियम 7 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां सरकार का यह मत है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह लिखित में रिकॉर्ड किए जाने वाले कारणों के आधार पर और आयोग के परामर्श से, समय-समय पर जारी सरकार के अनुदेशों के अनुसार ऐसी अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) पर स्थानान्तरण द्वारा किसी ग्रेड में ड्यूटी पद को भर सकती है।

(2) इन नियमों के अंतर्गत सेवा के किसी ग्रेड में नियुक्ति के लिए अपेक्षित अर्हता, अनुभव और पात्रता सेवा के बारे में निर्णय सरकार द्वारा प्रत्येक अवसर पर आयोग के परामर्श से किया जाएगा।

नियम 9 : वरिष्ठता :

(1) नियम 6 के अंतर्गत सेवा के आरंभिक गठन के समय, सेवा के ग्रेड में नियुक्त सेवा के सदस्यों की सापेक्ष वरिष्ठता वही होगी जो इन नियमों के लागू होने की तारीख को प्राप्त होगी :

परंतु यह कि यदि ऐसे किसी सदस्य की वरिष्ठता उक्त तारीख को विशिष्ट रूप से अवधारित नहीं है तो, इसे इन नियमों के लागू होने से पूर्व सेवा के सदस्यों पर लागू वरिष्ठता के निर्धारण को शासित करने वाले नियमों के आधार पर अवधारित किया जाएगा।

(2) आरंभिक गठन के बाद सेवा में भर्ती व्यक्तियों की वरिष्ठता समय-समय पर इस विषय में सरकार द्वारा जारी सामान्य अनुदेशों के अनुसार अवधारित की जाएगी।

नियम 10 : परिवीक्षा :

(1) सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा सेवा के प्रविष्टि ग्रेड में नियुक्ति के बाद प्रत्येक अधिकारी दो वर्षों की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे।

परंतु यह कि नियंत्रक प्राधिकारी इस निमित्त सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार परिवीक्षा की अवधि बढ़ा सकते हैं।

(2) परिवीक्षा की अवधि या परिवीक्षा की बढ़ाई गई अवधि पूरा होने के बाद, सीधी भर्ती से आए अधिकारियों को, यदि वे सेवा में पुष्टि के लिए उपयुक्त माने जाते हैं, तत्समय लागू सरकार के आदेशों के अनुसार पुष्टि की जाएगी।

(3) यदि, परिवीक्षा की अवधि या परिवीक्षा की बढ़ाई गई अवधि, जैसा भी मामला हो, के दौरान, सरकार का मत है कि कोई अधिकारी सेवा में पुष्टि के लिए उपयुक्त नहीं है तो सरकार यथास्थिति, अधिकारी को बर्खास्त कर सकती है या उन्हें सेवा में उनकी नियुक्ति से पूर्व उनके द्वारा धारित पद पर प्रत्यावर्तित कर सकती है।

(4) परिवीक्षा की अवधि या परिवीक्षा की बढ़ाई गई अवधि के दौरान, सरकार किसी भी अधिकारी से यह अपेक्षा कर सकती है कि वह प्रशिक्षण का ऐसा पाठ्यक्रम पूरा करें या वह ऐसी परीक्षा या टेस्ट (हिंदी में परीक्षा सहित) में उत्तीर्ण हों जिसे सरकार परिवीक्षा के संतोषजनक रूप से पूरा किए जाने की शर्त के रूप में उपयुक्त समझे।

(5) परिवीक्षा से संबंधित अन्य विषयों के संबंध में, सेवा के सदस्य इस बारे में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों या अनुदेशों द्वारा शासित होंगे।

नियम 11 : सेवा में नियुक्ति :

सेवा में सभी नियुक्तियां, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड-I या कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड-II या चयन ग्रेड या प्रविष्टि ग्रेड में की जाएंगी, न कि सेवा में शामिल किसी विशिष्ट पद पर।

नियम 12 : तैनाती :

प्रशासन से संबद्ध सेवा के प्रत्येक सदस्य, जब तक कि वह किसी संवर्ग-बाह्य पद पर नियुक्त न हो, या लोक सेवा की अत्यावश्यकताओं के कारण ड्यूटी पद को धारित करने के लिए अन्यथा उपलब्ध न हो, को संबंधित प्रशासक द्वारा प्रशासन के अधीन किसी ड्यूटी पद पर तैनात किया जाएगा।

नियम 13 : सेवा के सदस्यों का आबंटन -

सरकार, समय-समय पर नियम 12 के अनुसार सेवा के किसी सदस्य को तैनाती के लिए किसी प्रशासन को आबंटित करेगी।

नियम 14 : निरर्हता :

कोई भी व्यक्ति -

(क) जिन्होंने जीवित पति/पत्नी वाले किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, अथवा

(ख) जिन्होंने जीवित पति/पत्नी के बावजूद, किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे; परंतु यह कि यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के अधीन अनुमेय नहीं है और कि ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह ऐसे किसी भी व्यक्ति को इस नियम के लागू होने से छूट प्रदान कर सकती है।

नियम 15 : सेवा की अन्य शर्ते :-

ऐसे मामलों, जिनके लिए इन नियमों में कोई विशिष्ट उपबंध नहीं किया गया है, के संबंध में सेवा के सदस्यों की अन्य सेवा शर्तें वही होंगी जो केन्द्रीय सरकार के समकक्ष रैंक के अधिकारियों पर समय-समय पर लागू होती हैं।

नियम 16 : शिथिल करने की शक्ति :

जहां सरकार का यह मत है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह लिखित में रिकॉर्ड किए जाने वाले कारणों के आधार पर तथा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा किसी वर्ग या श्रेणी के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी उपबंध को शिथिल कर सकती है।

नियम 17 : व्यावृत्ति :-

(i) इन नियमों की कोई भी बात, सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए प्रदान किए जाने वाले आरक्षण, आयु-सीमा में छूट तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी।

(ii) पंजाब पुलिस नियम के अधीन, चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में पुलिस उपायुक्तों को पी बी-III में 5400/- रु. के ग्रेड पे वाले संशोधन पूर्व वेतनमान में उस ग्रेड में उनकी

आरंभिक नियुक्ति की तारीख से रखा जाएगा। जबकि, दानिप्स के अधिकारियों को चार वर्षों की अनुमोदित सेवा पूरी होने के बाद 5400 रु. के ग्रेड पे में रखा जाएगा। इसलिए, विलयन के परिणामस्वरूप, चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र के सभी विद्यमान पुलिस उपायुक्त, अधिसूचना की तारीख की स्थिति के अनुसार, दानिप्स के प्रविष्टि ग्रेड (पुलिस उपायुक्त के सदृश) में पद धारित करने तक उसी वेतनमान में बने रहेंगे।

(iii) चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र के पुलिस उपायुक्तों को दानिप्स में आमेलित होने पर, 5400/- रु. के ग्रेड पे में पहले से रखे गए दानिप्स के अधिकारियों के साथ अंतर्वेशित (इन्टरपोलेटेड) किया जाएगा। यदि चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र के पुलिस उपायुक्तों के दानिप्स में आमेलन की तारीख को 5400/- रु. के ग्रेड पे में कोई प्रविष्टि ग्रेड के दानिप्स अधिकारी नहीं हैं, तो इन पुलिस उपायुक्तों (ग्रेड पे 5400/- रु.) को आमेलन की तारीख को दानिप्स के प्रविष्टि ग्रेड के सभी अधिकारियों, जो ग्रेड पे 4800/- रु. के निचले स्केल में हैं, को एक साथ ऊपर रखा जाएगा।

नियम 18 : निरसन -

(क) अधिसूचना सं. सा.का.नि. 635 (अ), तारीख 06.08.2003, अधिसूचना सं. सा.का.नि. 403 (अ), तारीख 11.06.2009, अधिसूचना सं. सा.का.नि. 100 (अ) तारीख 25.01.2018 और अधिसूचना सं. सा.का.नि. 148 (अ) तारीख 05.02.2018 को इस अधिसूचना को जारी किए जाने की तारीख से अधिक्रमित किया जाएगा।

(ख) इस अधिसूचना, जिसके अधीन पंजाब पुलिस नियम को चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में पुलिस उपायुक्तों के पद की सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए अपनाया गया था, को इस अधिसूचना को जारी किए जाने की तारीख से निरसित किया जाएगा।

नियम 19: निर्वचन :-

यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उठता है तो इसका निर्णय सरकार द्वारा आयोग के परामर्श से किया जाएगा।

[कृपया नियम 4 (1) देखें]

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप, दमण एवं दीव, दादरा एवं नगर हवेली तथा चण्डीगढ़ पुलिस सेवा के ग्रेड में ड्यूटी पदों का नाम, संख्या तथा वेतनमान।

भाग क	ग्रेड तथा सेवा हेतु स्वीकृत पदों की संख्या	
(क)	सेवा के ग्रेड	वेतनमान
1.	कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड-I (समूह-क)	एल-13 (123100-215900)
2.	कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड-II (समूह-क)	एल-12 (78800-209200)
3.	चयन ग्रेड (समूह-क)	एल 11 (67700-208700)
4.	प्रविष्टि ग्रेड (समूह-ख)	(i) एल 8 (47600-151100) (प्रारंभिक नियुक्ति पर)
		(ii) एल 10 (56100-177500) (सतर्कता तथा सत्यनिष्ठा अनापत्ति के अध्यधीन चार वर्ष की अनुमोदित सेवा पूरी होने पर)
(ख)	**स्वीकृत नफरी**	**पदों की संख्या**
1.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अधीन विशिष्ट पद	368
2.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह प्रशासन के अधीन विशिष्ट पद	14
3.	लक्षद्वीप प्रशासन के अधीन विशिष्ट पद	01
4.	दमण एवं दीव प्रशासन के अधीन विशिष्ट पद	02
5.	दादरा एवं नगर हवेली प्रशासन के अधीन विशिष्ट पद	01
6.	चंडीगढ़ प्रशासन के अधीन विशिष्ट पद	17
7.	प्रतिनियुक्ति, अवकाश तथा प्रशिक्षण के लिए आरक्षित	130
	कुल	533

(ग)	**आरक्षित**	**पदों की संख्या**
1.	403 के 12% की दर से प्रतिनियुक्ति के लिए रिजर्व	48
2.	403 के 10% की दर से छुट्टी के लिए रिजर्व	41
3.	403 के 10% की दर से प्रशिक्षण के लिए रिजर्व	41
	कुल	**130**

भाग ख	**कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड-I तथा कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड-II में पद**	**पदों की संख्या**
(क)	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अधीन पद	
1.	अपर पुलिस उपायुक्त (इंडिया रिजर्व बटालियन)	15
2.	अपर पुलिस उपायुक्त (दिल्ली सशस्त्र पुलिस बटालियन)	10
3.	अपर पुलिस उपायुक्त (जिला मुख्यालय)	13
4.	अपर पुलिस उपायुक्त (क्राइम एवं रेलवे)	02
5.	वाइस-प्रिंसिपल, पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज	01
6.	अपर पुलिस उपायुक्त (पुलिस कंट्रोल रूम)	02
7.	अपर पुलिस उपायुक्त (प्रोविजन तथा लाइन्स)	01

8.	अपर पुलिस उपायुक्त (विशेष शाखा)	01
9.	अपर पुलिस उपायुक्त (यातायात)	02
10.	अपर पुलिस उपायुक्त (सतर्कता)	02
11.	अपर पुलिस उपायुक्त (लाइसेंसिंग)	01
12.	अपर पुलिस उपायुक्त (स्पेशल टास्क फोर्स)	01
13.	अपर पुलिस उपायुक्त (आर्थिक अपराध शाखा)	02
14.	अपर पुलिस उपायुक्त (महिलाओं के प्रति अपराध प्रकोष्ठ)	01
	कुल	**54**

भाग ग	प्रविष्टि ग्रेड तथा चयन ग्रेड में पद	
(क)	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अधीन पद	
	सहायक पुलिस आयुक्त	314
(ख)	अण्डमान एवं निकोबार प्रशासन के अधीन पद	
	उप पुलिस अधीक्षक	14
(ग)	लक्षद्वीप प्रशासन के अधीन पद	
	उप पुलिस अधीक्षक	01
(घ)	दमण एवं दीव प्रशासन के अधीन पद	
	उप पुलिस अधीक्षक	02
(ड.)	दादरा एवं नगर हवेली प्रशासन के अधीन पद	
	उप पुलिस अधीक्षक	01
(च)	चण्डीगढ़ प्रशासन के अधीन पद	
	उप पुलिस अधीक्षक	17
(i)	भाग-ग के (क), (ख), (ग), (घ), (ड.) तथा (च) का कुल	349
(ii)	भाग ख एवं ग का कुल	54
(iii)	प्रतिनियुक्ति, अवकाश तथा प्रशिक्षण के लिए आरक्षित	130
	कुल जोड़	**533**

अनुसूची-II

[कृपया नियम 7 देखें]

प्रविष्टि ग्रेड में भर्ती हेतु पद/ग्रेड/सेवा की पात्रता

दिल्ली पुलिस, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह पुलिस, लक्षद्वीप पुलिस, दमण एवं दीव पुलिस, दादरा एवं नगर हवेली पुलिस तथा चण्डीगढ़ पुलिस के इंस्पेक्टर।

अनुसूची-III

[कृपया नियम 7 (3) देखें]

क्रमांक.	ग्रेड	पदोन्नति का तरीका	पदोन्नित के लिए पात्रता
1.	2.	3.	4.
1.	कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड-I	वरिष्ठता क्रम में पदोन्नति द्वारा जो विभागीय	नियमित रूप से नियुक्त कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड-II अधिकारी जिन्होंने कम से कम अठारह वर्ष की अनुमोदित सेवा

		पदोन्नति समिति की सिफारिशों पर अयोग्य पाए जाने पर अस्वीकार किए जाने के अध्यधीन।	पूरी कर ली हो, कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड-I में पदोन्नति के लिए विचार किए जाने हेतु पात्र होंगे।
2.	कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड-II	विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों पर चयन के आधार पर पदोन्नति द्वारा।	नियमित रूप से नियुक्त चयन ग्रेड अधिकारी जिन्होंने कम से कम तेरह वर्ष की अनुमोदित सेवा पूरी कर ली हो, कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड-II में पदोन्नति के लिए विचार किए जाने हेतु पात्र होंगे।
3.	चयन ग्रेड	वरिष्ठता क्रम में पदोन्नति द्वारा जो विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों पर अयोग्य पाए जाने पर अस्वीकार किए जाने के अध्यधीन।	नियमित रूप से नियुक्त प्रविष्टि ग्रेड अधिकारी जिन्होंने कम से कम आठ वर्ष की अनुमोदित सेवा पूरी कर ली हो, चयन ग्रेड में पदोन्नति के लिए विचार किए जाने हेतु पात्र होंगे।

नोट : पदोन्नति हेतु अधिकारी की पात्रता निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख उस वर्ष की पहली जनवरी मानी जाएगी जिस वर्ष में यह रिक्ति उत्पन्न हुई है।

अनुसूची-IV

[कृपया नियम 7 (2) तथा (5) देखें]

क्रमांक.	ग्रेड		विभागीय पदोन्नित समिति का गठन
1.	कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड-I	(i) (ii) (iii) (iv) (v)	अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय में संघ राज्य क्षेत्र प्रभाग के प्रभारी- सदस्य मुख्य सचिव, अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह - सदस्य प्रधान सचिव/सचिव (गृह), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार - सदस्य पुलिस आयुक्त, दिल्ली - सदस्य
2.	कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड-II	(i) (ii) (iii) (iv) (v)	अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय में संघ राज्य क्षेत्र प्रभाग के प्रभारी- सदस्य मुख्य सचिव, अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह - सदस्य प्रधान सचिव/सचिव (गृह), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार - सदस्य पुलिस आयुक्त, दिल्ली - सदस्य

3.	चयन ग्रेड	(i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi)	अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय में संघ राज्य क्षेत्र प्रभाग के प्रभारी- सदस्य मुख्य सचिव, अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह - सदस्य संयुक्त पुलिस आयुक्त, पुलिस आयुक्त का कार्यालय, दिल्ली में कार्मिक प्रभारी - सदस्य पुलिस महानिरीक्षक, अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह - सदस्य प्रशासक के सलाहकार, दमण एवं दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली-सदस्य
4.	प्रविष्टि ग्रेड (पदोन्नति द्वारा पहली नियुक्ति तथा सीधी भर्ती वालों की पुष्टि	(i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi)	संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय में संघ राज्य क्षेत्र प्रभाग के प्रभारी- सदस्य प्रधान सचिव/सचिव (गृह), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार - सदस्य सचिव (गृह), संघ राज्य क्षेत्र चण्डीगढ़-सदस्य संयुक्त पुलिस आयुक्त, पुलिस आयुक्त का कार्यालय, दिल्ली में कार्मिक प्रभारी - सदस्य पुलिस महानिरीक्षक, अण्डमान एवं निकोबार, द्वीपसमूह -सदस्य प्रशासक के सलाहकार, दमण एवं दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली - सदस्य

नोट : विभागीय पदोन्नति समिति की कार्यवाही को, अध्यक्ष के अतिरिक्त, किसी अन्य सदस्य की अनुपस्थिति में अमान्य नहीं किया जाएगा, यदि समिति के अध्यक्ष सहित आधे से अधिक सदस्यों ने बैठक (बैठकों) में भाग लिया हो।

[फा.सं. 14016/01/2018-यूटीएस-II]

(गोविंद मोहन)
अपर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय, मायापुरी,
नई दिल्ली-110064

अनुरोध है कि इस अधिसूचना की हिंदी तथा अंग्रेजी में 150-150 मुद्रित प्रतियां इस मंत्रालय को उपलब्ध करवाएं।

प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई. पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002
2. मुख्य सचिव, अण्डमान एवं निकोबार प्रशासन, पोर्ट ब्लेयर।
3. प्रशासक, दमण एवं दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली प्रशासन, मोटी दमण।
4. प्रशासक, लक्षद्वीप प्रशासन, कावारत्ती।
5. पुलिस आयुक्त, दिल्ली पुलिस (मुख्यालय), एमएसओ बिल्डिंग, आई टी ओ, दिल्ली-110002
6. अनुभाग अधिकारी (आई टी), गृह मंत्रालय को इस अनुरोध के साथ कि अधिसूचना को मंत्रालय की वेबसाइट पर उपयुक्त स्थान पर अपलोड किया जाए।
7. सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
8. सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, शाहजहां रोड़, नई दिल्ली।
9. गार्ड फाइल/फा.सं. 14016/24/2012-यू टी एस-।।

बीना तंवर

(बीना तंवर)
अनुभाग अधिकारी